संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक/अ–2–6/अनु0/स्था0/761–09/ 4165 भोपाल, दिनांक 17/8/11

:: आदेश ::

श्री दर्शनलाल वर्मा, सहायक ग्रेड–3 के पद पर कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना के अधीन पदस्थ थें। श्री वर्मा के शासकीय सेवाकाल के दौरान दिनांक 08.12. 2004 को निधन हो जाने के पश्चात् इनके पुत्र अंशुल वर्मा ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तत्समय विभाग में सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग के सहायक ग्रेड–3 के पद रिक्त न होने के कारण प्रकरण कलेक्टर मुरैना को अनुकम्पा नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजा गया । कलेक्टर मुरैना, अंशुल वर्मा को नियुक्ति प्रदान न करते हुए विभाग अन्तर्गत रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु मूलतः संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल को भेजा गया।

श्री अंशुल वर्मा द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मान्नीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर में वाद कमांक डब्ल्यू पी 728/2011 दायर की गई,जिसमें मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2011 को निर्णय पारित करते हुए निर्देशित किया कि प्रार्थी के प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करें। न्यायालयीन निर्णय का समयावधि में पालन नहीं होने के कारण अवमानना याचिका कमांक 389/2011 दायर की गई। मान्नीय उच्च न्यायालय में दायर अवमानना के परिपेक्ष्य में श्री अंशुल वर्मा के अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन का परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदक की जन्म तिथि 10.04.1991 होने के कारण सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु निर्धारित आयु सीमा 21 वर्ष पूर्ण न होने के कारण सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नही है। अतः आवेदक को विभाग अन्तर्गत भृत्य के रिक्त पद पर जिसकी निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव मान्नीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को एकल नस्ती कमांक 3925 दिनांक 03.08.2011 से पदस्थापना अनुमोदन हेतु भेजी गई ।

मान्नीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग/ लो.से.प्र/की एकल नस्ती कमांक 157, दिनांक 09.08.2011 से पदस्थापना हेतु प्राप्त अनुमोदन के पश्चात श्री अंशुल वर्मा को विभाग अन्तर्गत रिक्त भृत्य के पद पर अस्थाई रूप से वेतनमान रूपये रूपये 4440–7440+ ग्रेड पे 1300 म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में उनकी सेवा में उपस्थिति दिनांक से नियुक्ति की जाकर कॉलम कमांक 04 में दर्शाये कार्यालय में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन पदस्थ किया जाता है :–

क0	आवेदक का पूरा नाम एवं पता	पद जिस पर अनुकम्पा नियुक्ति की गई है ।	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री अंशुल वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री दर्शनलाल वर्मा (अन्य पिछड़ा वर्ग) सुभाष रोड जौरा वार्ड नम्बर 07 तहसील जौरा जिला मुरैना (म0प्र0)	भृत्य	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास डिण्डौरी के अधीन

ORDER.docx

शर्ते एवं प्रतिबंधः–

1. कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण–पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों का चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थीकरण कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
2. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी । यह नियुक्ति आवेदक/आवेदिका द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है ।
3. चरित्र सत्यापन (पुलिस वैरीफिकेशन) करा लिया गया है किन्तु नियुक्ति के पश्चात चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
4. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक/आवेदिका दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण–पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी । नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते है, तो यह समझा जावेगा कि इन्होने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा ।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है । यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा ।
7. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
8. अधिकतम आयु संबंधी शर्ते मृतक शासकीय सेवक की पत्नि के मामले में पूर्णतः शिथिल रहेगी । साथ ही मृतक शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जाये ।
9. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरूद्व किसी अपराध का सिद्व–दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी ।
10. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्ते म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होगे जो समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके है अथवा जारी किये जावेगें ।
11. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की मूल अंक सूचियॉ इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

12. आवेदक को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदस्थीकरण स्थान (कार्यालय) में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर, कार्यालय प्रमुख को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा । अन्यथा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा ।
13. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.05 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी । सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवको को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाये के अध्यधीन रहेगा ।
14. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदो के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी नियमों / आदेशों का पालन किया गया है ।

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन कमांक/अ–2–6/अनु0/स्था0/761–09/ 4166 भोपाल, दिनांक 17/8/11
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1– विशेष सहायक, मा0 राज्य मंत्रीजी, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0 भोपाल की ओर जा0क0 157 दिनांक 09082011 के संदर्भ में । ।
2– प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3– कलेक्टर मुरैना की ओर उनके पत्र कमांक स्था–1/6–2/44/2010 दिनांक 23 जुलाई 2011 के संदर्भ में।
4– संयुक्त संचालक ,किसान कल्याण तथा कृषि विकास,संभाग चम्बल संभाग, मुरैना म0प्र0 ।
5– उप संचालक ,किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला मुरैना म0प्र0।
6– उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, डिण्डौरी की ओर भेजकर लेख है कि आवेदक श्री वर्मा को उपस्थित कराने के पूर्व यह प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले कि उनकी नियुक्ति और किसी भी शासकीय विभाग में नहीं हुई ।
7– निज सचिव ,संचालक,संचालनालय,किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश,भोपाल ।
8– कल्याण अधिकारी ,संचालनालय,किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश,भोपाल।
9– प्रभारी अधिकारी पदेन सहायक संचालक (स्था0/लेखा) कार्यालय उप संचालक ,किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला मुरैना की ओर भेजकर लेख है कि आप शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर श्री अंशुल वर्मा के अवमानना प्रकरण में नियुक्ति आदेश की प्रति उपलब्ध कराकर जबाबदावा प्रस्तुत करें ।
10– संबंधित श्री अंशुल वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री दर्शनलाल वर्मा ,सुभाष रोड जौरा वार्ड नम्बर 07 तहसील जौरा जिला मुरैना (म0प्र0)
11– आदेश नस्ती ।

संयुक्त संचालक (स्था0)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश,भोपाल